भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 585

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

585. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी नहीं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान(114वां संशोधन) बिल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष तक बढाने के लिए 2010 में पुरःस्थापित किया गया था । तथापि, संसद में उस पर कोई विचार नहीं किया जा सका और यह 15वीं लोक सभा के विघटन के साथ व्यपगत हो गया।

****